


07-9-22 पत्रावली पेश/सार्थिगण की ओर से कोई
इप. नहीं। सार्थिगण व वहील सार्थिगण से जुड़े
न्यायालय में जोर - 2 से आवेदन लगाने पर
भी हस्तित नहीं। इस: यह पत्रावली अदम
हान्य व अदम फेंकी में इसी स्वा पर खारिज
की जाती है पत्रावली के सवकृपा से होना हरिक
होना हो।


सुपखण्ड अधिकारी
घड़साना